तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर/6576/2023/जोधपुर कक्कू देवी बनाम नारायणराम आदि	नम्बर व तारीख

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित –

1–श्री सी0पी0पाराशर, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक 02–01–2024

हस्तगत् निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–84 सपठित धारा 9 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

अभिभाषक प्रार्थी की निगरानी के एडमीशन एवं स्थगन प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गयी।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों एवं स्थगन प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से एक अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर के समक्ष नामा0 संख्या 175 दिनांक 20–1–23 के विरुद्ध इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम झंवर के खसरा नंबर 412, 414, 415 कुल किता 3 रकबा 12.9986 हैक्टेयर का अप्रार्थी/अपीलांट खातदार काश्तकार रहा है। राजस्व ग्राम निम्बली पटवार हल्का झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर की जमाबन्दी संवत 2078 के खाता संख्या नया 83 पुराना 75 में प्रारंभ में उक्त नम्बरान का इन्द्राज खातेदार काश्तकार शेराराम, टाउराम पुत्रान उम्मेदराम जाति पटेल निवासी झंवर के नाम है। खातेदार टाउराम के फौत होने पर नामा0 संख्या 650 दिनांक 18–11–78 के जरिये टाउराम का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर शेराराम अकेले का जमाबन्दी में इन्द्राज होता रहा है। शेराराम ने एक वसीयत दिनांक 23–4–1991 को अप्रार्थी के पक्ष में की है। जिसकी मृत्यु होने पर नामा0 संख्या 1118 स्वीकृत होकर अपीलांट नारायणराम के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। तदोपरान्त शेराराम मृतक के हक में स्वीकृत नामा. संख्या 650 को जरिये अपील टाउराम की पत्नी द्वारा चुनौती दी गयी है। उक्त अपील दिनांक 5–1–2022 को स्वीकार हो गयी। अप्रार्थी विवादित आराजी पर काबिज है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 5–1–2022 की पालना में तहसीलदार झंवर द्वारा प्रकरण को दर्ज किया गया और मृतक टाउराम के विधिक वारिसानों की जांच किये बिना नामा0 संख्या 175 दिनांक 20–1–23 को स्वीकृत दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन अपील को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर/6576/2023/जोधपुर कक्कू देवी बनाम नारायणराम आदि	नम्बर व तारीख
	दर्ज कर एकपक्षीय रुप से दिनांक 24–01–2203 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। उक्त स्थगन आदेश पारित किये लगभग 11 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी आज तक स्थगन आदेश को निस्तारित नही किये जाने से उक्त निगरानी प्रस्तुत की गयी है। उनका यही भी तर्क है कि प्रकरण 135(2) भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में आने के कारण उक्त नामा0 आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील संभागीय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत होगी। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जोधपुर के समक्ष अपील भी संधारण योग्य नही है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से स्थगन आदेश पारित करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नही है जिससे निगरानीधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योकि विवादित आराजी पर प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन उक्त प्रकरण में समस्त पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के बाद ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए जो नही किया गया है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की निगरारनी के एडमीशन एवं स्थगन प्रार्थनापत्र पर की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्पष्ट है कि ग्राम झंवर के खसरा नंबर 412, 414, 415 कुल किता 3 रकबा 12.9986 हैक्टेयर का अप्रार्थी/अपीलांट खातेदार काश्तकार रहा है। राजस्व ग्राम निम्बली पटवार हल्का झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर की जमाबन्दी संवत 2078 के खाता संख्या नया 83 पुराना 75 में प्रारंभ में उक्त नम्बरान का इन्द्राज खातेदार काश्तकार शेराराम, टाउराम पुत्रान उम्मेदराम जाति पटेल निवासी झंवर है। खातेदार टाउराम के फौत होने पर नामा0 संख्या 650 दिनांक 18–11–78 के जरिये टाउराम का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर शेराराम अकेले का जमाबन्दी में किया गया है। शेराराम ने एक वसीयत दिनांक 23–4–1991 को अप्रार्थी के पक्ष में की है। जिसकी मृत्यु होने पर नामा0 संख्या 1118 स्वीकृत होकर अपीलांट नारायणराम के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। तदोपरान्त शेराराम मृतक के हक में स्वीकृत नामा. संख्या 650 को जरिये अपील टाउराम की पत्नी द्वारा चुनौती दी गयी है। उक्त अपील दिनांक 5–1–2022 को स्वीकार की गयी है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 5–1–2022 की पालना में तहसीलदार झंवर द्वारा प्रकरण को दर्ज किया गया और मृतक टाउराम के विधिक वारिसानों की जांच किये बिना नामा0 संख्या 175 दिनांक 20–1–23 को स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन अपील को दर्ज कर एकपक्षीय रुप से दिनांक 24–1–2203 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। चूकि इतना लम्बा समय निकल जाने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर/6576/2023/जोधपुर कक्कू देवी बनाम नारायणराम आदि	नम्बर व तारीख
	के बाद भी उक्त स्थगन आदेश को निस्तारित नही किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योकि विवादित आराजी पर प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन उक्त प्रकरण में समस्त पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानीधीन आदेश को निरस्त कर प्रकरण को 30 दिन में निस्तारित करने के दिशा निर्देश दिया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी एडमीशन स्तर पर ही स्वीकार की जाकर अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–2023 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर को प्रतिप्रेषित कर उन्हे निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 23/2023 शीर्षक नारायणराम बनाम कक्कू देवी में सभी हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 30 दिवस में विधिवत निर्णय पारित करें। प्रार्थी पक्ष को हिदायत दी जाती है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.01.2024 को सुनवाई हेतु उपस्थित हों पत्रावली बाद फैसल शुमार नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** सदस्य	